कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 से समस्त तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रति तहसील एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये जानें हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–/2018/289/एक–4–2019–रा0–4 राजस्व अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी 2019 व परिषद के पत्र संख्या जी–131/12–विविध/2011 दिनांक 15.3.2019 द्वारा निर्देश दिया गया है।

अतः शासन/परिषद के आदेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार व मड़िहान में रू0 20,000.00 प्रति माह की दर पर टैक्सी परमिट की वाहन लगायी गयी है। इसी दर पर तहसील लालगंज एवं सदर में 01 अतिरिक्त वाहन (बोलेरो) लगाया जाना है, जिसके लिये शर्तो के अनुरूप वाहन लगाये जाने हेतु इच्छुक वाहन मालिक दिनांक 31.10.2019 तक नजारत कलेक्ट्रेट में सम्पर्क कर सकते है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0
मीरजापुर।

पत्र संख्या 1656 /नाजिर सदर/2019 , दिनांक 26 अक्टूबर 2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला सूचना अधिकारी जनपद मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित उक्त निविदा सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0
मीरजापुर।